

**कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद**  
**(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)**  
**(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)**  
**तृतीय तल, प्लेटिनम् प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल**

क्र./कॉलेज/A21P0065/ 1737 /2022,

भोपाल, दिनांक 28 /05/2022

**आदेश**

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए सोनल एज्युकेशन सोसायटी के द्वारा संचालित पी.के. यूनीवर्सिटी (फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस) को शिवपुरी जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2021-2022 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अरबश्यक अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	<b>BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY</b>	DEGREE	50
02	<b>MEDICAL LAB. TECHNICIAN</b>	DEGREE	50
03	<b>X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN</b>	DIPLOMA	50
04	<b>MEDICAL LAB. TECHNICIAN</b>	DIPLOMA	50
05	<b>DIALYSIS TECHNICIAN</b>	DIPLOMA	50

**आवश्यक निर्देश :-**

- संख्या को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समर्त नियम विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर, परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संख्या द्वारा परिषद निर्धारित अंतिम तिथि 23 जून, 2022 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त योग्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संख्या द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकर्षित निरीक्षण के दौरान संख्या को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संख्या द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय द्वारा गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संख्या की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- संख्या को उपरोक्त उल्लेखित समर्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अहंता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि 23 जून, 2022 तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संख्या जिम्नेदार होगी।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकातम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संख्या को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संख्या को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, के नाम से राशि रूपये पैंच लाख का एकड़ीआर / सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम तीन वर्ष की वैद्यता अवधि हेतु सुरक्षा निवि एकड़ीआर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
- डिप्लोमा / डिग्री / पीजी सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संख्या को संबंधित विविदालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निवि राशि में जमा कराये जाने का सत्यापन प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करने में विकल होने पर, संख्या द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश कार्य रवीकार नहीं किए जाएंगे।

निरन्तर पृष्ठ 2 पर...

# कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम् प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

(2)

10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्राक्तानों के परिपेक्ष में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अन्यायियों को परिषद में (पंजीयन) हेतु संख्या स्तर से समर्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संख्या से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संख्या की होगी।
11. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा दी गई अनुज्ञा / मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
12. संख्या द्वारा संबालित / अनुमति प्राप्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2022-2023 की निरन्तरता नवीन पाठ्यक्रम बावत संख्या का परिषद द्वारा निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क, ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। जिसके लिये संख्या जिम्मेदार होगी।

प्र.रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद  
भोपाल, दिनांक 28 /05/2022

**पुष्टालन क्र./कॉलेज/A21P0065/ 1738 /2022,**

प्रतिलिपि :- सूचनाथै एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
8. कलेक्टर, जिला-शिवपुरी।
9. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. अधिकारी, रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- शिवपुरी।
12. सिविल सर्जन राठ मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- शिवपुरी।
13. जिला संयोजक, आदिग जाति कल्याण जिला- शिवपुरी।
14. Director, National Information Center, M.P., State Center Vindhya Bhawan, Bhopal
15. सचालक/प्राचार्य, पी.के. यूनीवर्सिटी (फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस) ग्राम थनरा, तहसील करेता, एनएच-25, जिला-शिवपुरी।
16. सचालक, एम.पी. ऑनलाइन, लेवलमेंट कार्यालय, तृतीय तल, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.वी. नगर, भोपाल (उपरोक्तानुसार प्रवेश फार्म सम्बन्धी कार्यवाही हेतु सूचनाथै)
17. आदेश फाईल / परीक्षा कक्ष, स्थानीय कार्यालय।

प्र.रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद